न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 55/2019 (उदयपुर डिक्री)

1. हीरा पिता जेता जी डांगी, निवासी रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. गंगाराम पिता जेता जी डांगी, निवासी रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. डालचन्द पिता जेता जी डांगी, निवासी रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. लोगर पिता चेना जी डांगी, निवासी रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. उदयलाल पिता चेना जी डांगी, निवासी रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. वरदीचन्द पिता खेमराज, जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. मांगीलाल पिता खेमराज, जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. शांतिलाल पिता खेमराज, जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

8/1. भैरूलाल पिता शांतिलाल, जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

8/1/1. भावेश पिता भैरूलाल जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8/1/2. नितेश पिता भैरूलाल जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8/1/3. हीना पुत्री भैरूलाल जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8/1/4. श्रीमती चन्दा पत्नी भैरूलाल जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8/2. विष्णु पिता शांतिलाल, जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8/3. चंचल पुत्री शांतिलाल, जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

8/4. मोहनी पत्नी स्व. शांतिलाल, जाति ब्राहमण, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:35 IST
Reason: SelfAttested

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती बेबी तंवर पत्नी जवानसिंह जी, जाति दरोगा, निवासी भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
2. गजेन्द्रसिंह तंवर पिता जवानसिंह जी, जाति दरोगा, निवासी भुपालपुरा, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती नीतु पुत्री जवानसिंह जी, जाति दरोगा पत्नी दीपकसिंह चौहान, निवासी मकान नंबर 178, सेन्ट्रल एरिया गायरियावास, उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती अंजली पुत्री जवानसिंह जी, जाति दरोगा पत्नी पर्ततसिंह सोलंकी, निवासी मकान 53–ए, श्रीराम कॉलोनी, प्रतापनगर, उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक
28.06.2019 प्रकरण संख्या 248/16

———/———

<u>उपस्थित</u> :— 1. श्री ओंकारलाल डांगी/तुलसीराम डांगी अभि. अपीलान्टगण
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 5, 6

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 30—05—2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा विठ्ठोली में आराजी नंबर 3 से 15, 17 से 21 कुल किता 18 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह दरोगा के नाम दर्ज है, जिनका दिनांक 12—02—1959 को देहावसान हो चुका है, जो हम वादीगण के पूर्वज थे एवं विरासत से हम वादीगण के उक्त आराजियात में हक अधिकार निहित होकर कब्जा पिछले कई वर्षो से चला आ रहा है। वादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 लक्ष्मणसिंह के वारिस हैं, किन्तु विरासत का नामान्तरकरण नहीं खुल पाने के कारण उक्त भूमि लक्ष्मणसिंह के नाम ही दर्ज चली आ रही है इसलिए वादीगण उक्त कृषि भूमि को अपनी स्वतंत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:35 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी में घोषणा कराने के अधिकारी हैं। अतः विवादित आराजियात का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाकर नाम रेकार्ड में अंकन कराया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद स्वीकार किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–06–2019 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–11–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट वाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित भूमि अपीलान्टगण के बाप/दादाओं की थी, किन्तु राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों ने गलती एवं लापरवाही से उक्त भूमि लक्ष्मणसिंह दरोगा के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दी इस कारण अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बिना अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये कथित वाद डिक्री करा लिया, जिससे अपीलान्टगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः अपीलान्टगण प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं, उसके [illegible] विवादित आराजियात बाबत् अपीलान्टगण का घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अधिनस्थ न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:35 IST
Reason: SelfAttested

विचाराधीन होना प्रथम दृष्टया स्पष्ट प्रकट होता है। तद्नुसार अपीलान्टगण प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने से न्यायहित में धारा 96 जा. दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे ऐसी स्थिति में उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। दिनांक 15–11–2019 को प्रथम बार उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जिस पर दिनांक 20–11–2019 को नकले प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें पूर्व में हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किये जाने के दृष्टिगत न्यायहित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी नंबर 3 से 15, 17 से 21 कुल किता 18 रकबा 37 बीघा के साबिक आराजी नंबर 5/1, 5/2 थे, जो अपीलान्टगण के बाप–दादाओं के समय से यानि सन् 1950 से उनकी खातेदारी की होकर काबिज चले आ रहे हैं तथा भू–प्रबन्ध विभाग के फर्द इख्तलाक इन्द्राज खसरा के वर्तमान इन्द्राज के कॉलम में अपीलान्ट के पिता/दादा का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसका इन्द्राज संवत् 2010 से 2023 के राजस्व अभिलेख में भी है, किन्तु वर्तमान जमाबन्दी से राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी का नाम हटाकर पुनः लक्ष्मणसिंह का नाम दर्ज कर दिया, जबकि लक्ष्मणसिंह का कई वर्षो पूर्व निधन होकर उसके कोई वारिस नहीं थे। इन भूमियों बाबत् अपीलान्टगण द्वारा घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होकर उसके मुकदमा नंबर [illegible]62/2009 वरदीशंकर बनाम राज्य एवं 261/2009 हीरा बनाम राज्य है, लेकिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:35 IST
Reason: SelfAttested

आपसी मिलीभगत कर अपीलान्टगण को बिना पक्षकार बनाये इन्हीं भूमियों बाबत् नया वाद प्रस्तुत कर डिक्री करवा लिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्टगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज भू–प्रबन्ध विभाग के फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा अनुसार हाल आराजी नंबर 3 से 15, 17 से 21 साबिक आराजी नंबर 5/1 व 5/2 से बनना प्रकट होता है एवं प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत् 2017 से 2020 अनुसार साबिक आराजी नंबर 5/1 व 5/2 पर कब्जा अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी का होना स्पष्ट प्रकट होता है, किन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त साबिक आराजी नंबर 5/1 व 5/2 से बने हाल आराजी नंबर 3 से 15, 17 से 21 लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह दरोगा के नाम दर्ज है। न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27–02–2012 अनुसार खातेदार लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह दरोगा द्वारा विवादित आराजी नंबर 3 से 15, 17 से 21 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा का रजिस्टर्ड विक्रय प्रकाशचन्द पिता केसुलाल डांगी एवं भवानीशंकर पिता सोहनलाल टांक के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा लक्ष्मणसिंह की मृत्यु दिनांक 12–02–1959 को होने का कथन किया है एवं इस बाबत् राजस्थान सरकार द्वारा जारी लक्ष्मणसिंह दरोगा का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नगर निगम उदयपुर के वार्ड नंबर 53 के पार्षद द्वारा जारी लक्ष्मणसिंह दरोगा का सजरा प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मणसिंह दरोगा के नाम दर्ज होने एवं लक्ष्मणसिंह के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अर्थात हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना मानते हुए रेस्पोडेन्टगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का उन्हें खातेदार घोषित कर दिया है, जबकि लक्ष्मणसिंह दरोगा का जो सजरा वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, वह उदयपुर नगर निगम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:35 IST
Reason: SelfAttested

पार्षद द्वारा जारी किया गया है, जबकि स्वयं वीदगण के वाद अनुसार लक्ष्मणसिंह दरोगा देलवाड़ा, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द के निवासी थे। ऐसी स्थिति में उदयपुर नगर निगम के पार्षद द्वारा जारी सजरे को प्रमाणिक मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को लक्ष्मणसिंह दरोगा का वारिस मानते हुए उन्हें विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन्हीं विवादित आराजीयात बाबत् अपीलान्टगण द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं निषेधाज्ञा के वाद प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके मुकदमा नंबर 262/2009 वरदीशंकर बनाम राज्य एवं 261/2009 हीरा बनाम राज्य है, किन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे वह अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यायहित में हम अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 28-06-2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को प्रतिवादीगण के रूप में संस्थित करें तथा लक्ष्मणसिंह पिता चतरसिंह की मृत्यु दिनांक 12-02-1959 हुई तो उसके द्वारा दिनांक 27-02-2012 विक्रय पत्र कैसे निष्पादित किया गया है ? इस बिन्दु की जांच करते हुए एवं पक्षकारान की साक्ष्य सबूत लेकर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29-07-2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30-05-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:40:35 IST
Reason: SelfAttested